

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर ए एस
 अपील संख्या- आरटीए/208/2017

उनवान

1. रामेश्वर लाल पिता बालुराम महाजन निवासी माण्डल तहसील
माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग, माण्डल जरिये सहायक अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, माण्डल जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डल जिला भीलवाडा
रेस्पोंडेण्टस्

अपील विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के
 प्रकरण संख्या 329/2016 निर्णय दिनांक 20.6.2017

- अभिभाषक :
1. श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
 2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता
आदेश

दिनांक 31.10.2017

1.

अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा माण्डल तहसील माण्डल में प्रार्थी की खातेदारी की आराजी नम्बर 5596 रकबा 7 बिस्वा भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की आराजी नम्बर आराजी नम्बर 5596 के पास बिलानाम गैर काबिल काश्त



भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 भीलवाडा

रास्ते की आराजी नम्बर 5264 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा स्थित है जो रास्ते के रूप में दर्ज है व उपयोग में आ रही है तथा उक्त भूमि से होकर ही ग्राम माण्डल से कोलीखेडा जाने वाला रास्ता निकला हुआ है। प्रार्थीगण की आराजी में कोई रास्ता दर्ज नहीं है एवं न ही उक्त आराजी में रास्ता निकालने का कोई अधिकार ही है। फिर भी विपक्षी संख्या 1 के अधिकारी, कर्मचारी मौके पर आये एवं ग्राम माण्डल से कोलीखेडा जाने हेतु रास्ते के रूप में प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित आराजी में अनाधिकार तौर पर नवीन रास्ता/सडक कायम करना चाहते हैं जबकि ग्राम माण्डल से कोलीखेडा जाने हेतु राजस्व रेकार्ड राजस्व नक्शा ट्रेष में आराजी संख्या 5264 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में दर्ज है। हाल ही में दिनांक 1.5.2016 को विपक्षी संख्या 1 के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर आये व प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी में माण्डल से कोलीखेडा जाने हेतु नवीन रास्ता कायम करने लगे तथा उक्त रास्ते/सडक पर मोहरम व गिट्टी डलवाने लगे एवं जे0सी0बी0 की सहायता से प्रार्थीगण की आराजी में रास्ता/सडक निकालने लगे तो प्रार्थीगण ने आपत्ति की परन्तु विपक्षी संख्या 1 के अधिकारी कर्मचारी मानने का तैयार नहीं वे रास्ता बनान पर आमादा है। प्रार्थीगण ने विपक्षी नम्बर 2 को इस बाबत शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण की माण्डल स्थित आराजी नम्बर आराजी नम्बर 5596 रकबा 7 बिस्वा में कोई सडक/रास्ता नहीं निकाले। यदि कोई रास्ता उक्त आराजी में बना दिया जावे तो पुनः हटवाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज



भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी ने अपने खाते की वादग्रस्त आराजी में प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबरन ग्राम माण्डल से कोली खेडा जाने वाली रास्ता/सडक बनाना चाहते हैं जबकि उक्त रास्ते हेतु उक्त रास्ते हेतु आराजी नम्बर 5264 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में दर्ज है। उसका उपयोग उपभोग भी हो रहा है। इस बाबत मूल वाद के साथ प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.5.2016 को अपीलार्थी/प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की एवं आदेशित किया कि अपीलान्ट की आराजी की मौके की विपक्षीगण यथास्थिति बनाये रखें एवं सडक निर्माण नहीं करे। उक्त स्थगन आदेश 20.6.2017 तक प्रभावी था। तत्पश्चात दिनांक 20.6.2017 को अपीलार्थी/प्रार्थी द्वार एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी का पेश किया जिसका रेस्पाडेण्ट/विपक्षीगण ने जवाब पेश करने हेतु समय चाहा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी न्यायोचित आधार के दिनांक 18.5.2016 से चल रहे स्थगन आदेश को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी का गुणावगुण पर निस्तारण



भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भिलवाड़ा

करना चाहिये था। जो नहीं किया है एवं विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

4. अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी अंकित किया है कि प्रकरण आम रास्ते से संबंधित है एवं आम जनता इससे प्रभावित होती है जबकि रेस्पोंडेंट द्वारा जो रास्ता/सडक बनाई जा रही है वह अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी में बनाई जा रही है इस कारण रेस्पोंडेंट को बिना अवाप्ति की कार्यवाही किये बिना मुआवजा दिये सडक/रास्ता कायम नहीं करना चाहिये था लेकिन फिर भी रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलार्थी की खातेदारी में अनाधिकार तौर पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये सडक/रास्ता बनाया जा रहा है वह किसी प्रकार न्यायसंगत नहीं होना मानने के बावजूद अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

5. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी में सडक/रास्ते का निर्माण किया जा रहा है जो ग्राम माण्डल से कोली ,खेडा जाने वाले रास्ते पर किया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य आम जनता के यातायात में उपयोग में आ रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।



भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी नम्बर 5596 अपीलार्थी के की खातेदारी अधिकारों की है। यह भी सही है कि वादग्रस्त भूमि में ग्राम माण्डल से कोली खेडा जाने वाला रास्ता/सडक बनाई जानी है एवं उक्त कार्य सार्वजनिक हित से जुडा हुआ है परन्तु जिस भूमि पर सडक बनाई जानी है वह भूमि खातेदारी की है। जिसमें बिना सहमति लिये सडक का निर्माण किया जा रहा है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त विवेचनानुसार रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।
7. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.6.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः उभयपक्ष की पूर्ण सुनवाई की जाकर उक्त कार्य की उपयोगिता व खातेदार की आपत्तियों का निस्तारण कर एक माह के भीतर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।
8. निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।



(निमिषा गुप्ता)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भूलवाडा